राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषिति:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

क्रमांक:- प.6(30)राज-6/01/2 जयपुर, दिनांक:- 30.1.2003

-: परिपत्र :-

राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा के सनिमार्ण एवं पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1973 के निरसित नियम 8(3)के अनुसार भूमि 99 वर्ष की लीज के आधार पर आवंटित की जानी थी एवं प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लीज की शर्तों एवं बन्धनों में संशोधन करने का प्रावधान था।

राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा के सनिमार्ण तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1978 से उक्त 1973 के नियम निरसित किये गये है तथा उपरोक्त 1978 के नियम वर्तमान में प्रभावशील है। 1973 के नियमो के अन्तर्गत किये गये आवंटन की 20 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है उनमें लीज शर्तों के अनुसार लीज दरों में तथा टर्म एवं शर्तों में संशोधन/वृद्धि की जा सकती है।

चूंकि 1973 के नियमों में जारी लीज शर्तों के अनुसार भूमि आवंटन की अवधि 20 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् लीज दरों में वृद्धि तथा टर्म एवं शर्तों में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। अत: विधि विभाग की राय अनुसार निदेशानुसार लेखा है कि 1973 के उक्त नियमों के तहत जारी लीज डीड के नवीनीकरण के समय लीज डीड की शर्तें, टर्म व लीज दर आदि में 1978 के नियमों में लागू शर्तें, टर्म व लीज दर आदि के समकक्ष कर लीजडीड का नवीनीकरण किया जावें। जिससे कि 1978 के नियमों में विहित शर्तों, टर्म व देय राशि के अनुसार लीज राशि वसूल की जा सके।

2.01.03
(बच्चू सिंह मीणा)

शासन उप सचिव